न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2022 (डूंगरपुर आर्डर)

नाथू पिता हलु, जाति भील, निवासी सागवाडा, हाल चितरी, फला झिझवा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सागवाडा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम -1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
दिनांक 19.09.2022 प्र.सं. 30/2021

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजीव भटनागर अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मनीष पटेल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय **दिनांक 07–03–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 5460 रकबा 0.5177 हैक्टर भूमि मौजा सागवाडा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर पीढी दर पीढी से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा संवत् 2053 से 2056 में उसका नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। वर्तमान में भूमि बिलानाम हो अप्रार्थी संख्या 1 नगर पालिका सागवाडा के खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी नंबर 5460 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म मगरा पर प्रार्थी का [illegible]-40 वर्षो से चला आ रहा है एवं नियमन हेतु संभागीय आयुक्त [illegible] दिनांक [illegible]-07-2019 को दिया गया था, जिस पर संभागीय आयुक्त [illegible] जिला कलक्टर, डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:55 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

को नियमन संबंधी कार्यवाही हेतु भेजा। जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सागवाडा से नियमन के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार सागवाडा से रिपोर्ट चाही गयी, जिस पर पटवारी ने दिनांक 02–07–2020 को भेजे पत्र में आराजी नंबर 5460 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा को किस्म मगरी होना एवं प्रार्थी नाथु का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज होने का उल्लेख किया तथा मौके पर टीन शेड व दो कमरों का निर्माण होना बताया। नामान्तरकरण संख्या 3398 दिनांक 18–11–2009 से उक्त भूमि स्थानीय निकाय नगर पालिका सागवाडा को हस्तान्तरित होने से नगर पालिका सागवाडा का नाम खातेदार के रूप में अंकित होना बताया। प्रार्थी की भूमि को किसी अन्य को आवंटित करने की नियत से अप्रार्थी द्वारा मौके पर भूमि के पश्चित तरफ मौके की चौड़ाई बढाई जा रही है एवं पूर्व की तरफ डामर सडक का निर्माण करवा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें तथा अन्य किसी को आवंटन अथवा नियमन पट्टा जारी नहीं करे, न किसी अन्य से करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–09–2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31–10–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसका आवंटन/नियमन किसी अन्य को नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:55 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

खातेदारी में दर्ज होने से अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी का खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी अपीलान्ट/प्रार्थी नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह स्वीकृत स्थित है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार हैं। अपीलान्ट/प्रार्थी विवादित आराजी पर अपना पुराना कब्जा बताते हैं एवं इस आधार पर रेकार्डेड खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाहते हैं, किन्तु मात्र पुराने कब्जे के आधार पर रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–09–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07–03–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:55 IST
Reason: SelfAttested